श्री सनातन धर्म प्रताप सभा,

श्रीनगर (काश्मीर)

नियम तथा उपनियम

List of Office Bearers & Executives of Shree S. D. P. Sabha SRINAGAR - KASHMIR

1 L. Bodh Raj Shah Khanna,
Prop : L. Devki Nandan Bodhraj, Khanna & Co.,
Amira - Kadal - Srinagar. *President*

2 L. Nanak Chand Anand,
Advocate,
Wazir Bagh, Srinagar. *Senior Vice - President*

3 Shri Kashmiri Lal Jain,
Hazoori Bagh Road, Srinagar. *Junior Vice - President*

4 Shri Ishwar Saroup Kohli,
C/o Krishna Flour & Oil Mills,
Srinagar. *Secretary*

5 Shri Sita Ram,
Prop : M/s. Sita Ram Satish Kumar,
Court Road, Srinagar. *Joint - Seeretary*

6 Pt. Bishember Dass,
C/o. M/s. Sohna Mal Sita Ram,
Opposite Hanuman Mandir,
Srinagar. *Asstt : Secretary No. I*

7 Shri Wishwa Nath Saigal of
M/s. Kashyap Industries,
Srinagar. *Asstt : Secretary No. II*

8 L. Sri Chand Nagpal,
Prop : M/s Srichand Jagmohan Lal
Court Road, Srrinagar. *Treasurer/Accountant*

Members of Executive & Vigilance Committee

9 Shri Pran Nath Kapoor,
General Manager, Dewan Estate,
Hazoori Bagh Road,
Srinagar.

10 Thakur Raghunath Singh,
Director Social Welfare,
J & K Government,
Srinagar.

11 Shri Tilak Chand Anand,
Branch Manager,
Ruby General Insurance Co , Ltd.
Srinagar.

Members of Exocutive Committee

12 L. Dina Nath Chopra,
District Manager,
Ruby General Insurance Co., Ltd.
Srinagar.

13 L. Manohar Lal Khanna,
Hari Singh High Street,
Srinager.

14 L. Nanak Chand Arora,
Prop : Nishat Restaurant,
Srinagar.

15 Shri Ram Narain Gandotra,
of M/s. Kailasa Cafitaria,
Srinagar.

श्री सनातन धर्म प्रताप सभा,
श्रीनगर (काश्मीर)
के
नियम तथा उपनियम

नाम] इस सभा का नाम "श्री सनातन धर्म प्रताप सभा श्रीनगर (काश्मीर)" होगा।

कार्य क्षेत्र] इस सभा का कार्यक्षेत्र विशेषतः काश्मीर होगा।

:— नियम —:

1 वेद ही सनातन धर्म का मूल ग्रन्थ है। और वही उस के अन्वेषण में परम प्रमाण है।

2 वैदिक धर्म का अनुकरण और उस का प्रचार करना हिन्दूमात्र का परम कर्त्तव्य है।

3 सब कार्यों को धर्मानुसार, अर्थात सत्य असत्य का विचार करना योग्य है।

4 सब से प्रेम पूर्वक धर्मानुसार, तथा योग्य व्यवहार करना चाहिए।

5 सनातन धर्म की वृद्धि के निर्मात्त, वेद और वेद मूलक स्मृति पुराणादि सत शास्त्रों का प्रचार करना, और हिन्दू जाति की धार्मिक, शारीरिक व सामाजिक उन्नति का प्रबन्ध करना इस सभा का मुख्योद्देश्य है।

6 वेद वाणी संस्कृत और राष्ट भाषा हिन्दी की वृद्धि करना।

7 वे लोग जो वैदिक धर्म से किसी कारण विमुख हो गये हैं, उन में वैदिक धर्म के प्रचार और उनके पुनः संस्कार का प्रबन्ध करना।

8 सनातन धर्म के प्रचारार्थ, पाठशालायें पुस्तकालय, अनाथालय, विद्यबाश्रम और अन्य धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना।

9 सनातन धर्मी, देव मन्दिरों, तीर्थस्थानों, तथा अन्य धार्मिक देव पूजा संस्थाओं की रक्षा, सुधार और प्रबन्ध करना।

10 सनातन धर्मोत्सवों तथा पर्वों को धर्मशस्यानुसार मनाने का प्रबन्ध करना।

:— उप नियम —:

क 1 इस सभा का सदस्य प्रत्येक वह हिन्दू जो श्रीनगर काश्मीर में एक वर्ष से निवास करता हो, बन सकता है।

2 श्रीनगर के अतिरिक्त काश्मीर के अन्य स्थानों की सनातन धर्म सभायें इस सभा में सम्मिलित हो सकती हैं, यदि वह इस सभा उद्देश्यों को स्वीकार करें। उन सभाओं की रक्षा और सहायता करना इस सभा का कर्त्तव्य होगा। आवश्यकतानुसार इस सम्मेलन के नियम बनाये जासकते हैं।

3 इस सभा के प्रबन्ध के लिये दो सभायें होंगी।

साधारण सभा — कार्य कारिणी सभा

4 सभा की और से वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मनाया जाये गा।

5 सभा का हिस्साब किताब प्रत्येक वर्ष जून के अन्त में बन्द किये जायें गे और साथ ही जुलाई मास के अन्त तक निरीक्षण (audit) करवा दिये जायें गे।

6 कार्य की सुविधा के लिए सभा अपनी उपसमितियां नियत करेगी।

साधारण सभा

7 प्रत्येक सभासदस्य जो प्रथम उपनियम के अनुसार बना है साधारण सभा का सदस्य समझा जाये गा।

8 साधारण सभा के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

क) वार्षिक रिपोर्ट को, जो मन्त्री ने तैयार की है, समीक्षा करनी ।

ख) वार्षिक बजट पर, जिस को कार्य कारिणी सभा ने तैयार किया है, विचार करना ।

ग) सभा सम्बन्धी आवश्यक विषयों पर विचार करना और कार्य कारिणी सभा को तन्निमित प्रेरणा करना

(घ) कार्य कारिणी सभा के अन्तरंग सदस्यों तथा सभा के अधिकारियों का चुनाव करना ।

अधिकारी इस प्रकार होंगे :-

(1)	प्रधान	(एक)
(2)	उप प्रधान	(दो)
(3)	मन्त्री	(एक)
(4)	सहायक मन्त्री	(एक)
(5)	उप मन्त्री	(दो)
(6)	कोषाध्यक्ष	(एक)
(7)	आकाऊन्टैंट	(एक)

(ङ) कार्य कारिणी सभा के किसी प्रस्ताव की निगरानी करना।

(च) उन विषयों पर विचार करना, जो कार्य कारिणी सभा

उस के पास विचारार्थ भेज देवे।

(8) साधारण सभा का कोर्म $\frac{1}{4}$ भाग कुल सभा सदों का होगा।

(10) सभा के उदेश्य तथा नियम व उपनियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए साधारण सभा के $\frac{2}{3}$ सभा सदों की सम्मति अनिर्वाय होगी।

(11) साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए सूचना एक सप्ताह पूर्व देनो आवश्यक होगी।

(12) साधारण सभा में ऐसा कोई विषय प्रस्तुत नहीं हो सकता जिस का समर्थन न हो।

(13) निर्णय बहुमत के आधार पर हो होगा।

कार्य कारिणी सभा

(14) कार्य कारिणी सभा के सदस्य, साधारण सभा के अधिकारी और वह जो साधारण सभा ने सभासद चुने हैं, होंगे।

(15) कार्य कारिणी सभा के १५ सदस्य होंगे। कोई ऐसा सदस्य जो सभा का किरायेदार हो कार्य कारिणी सभा का सदस्य नहीं बन सकता।
कार्य कारिणी सभा की चुनाव प्रणाली निम्न प्रकार से हुआ करेगी :—

(छ) सतर्क समिति (Vigilance Committee) कार्य कारिणी के चुनाओं की निगरानी करेगी।

(ज) कार्य कारिणी सभा के चुनाव हर दो वर्ष उपरान्त वार्षिक उत्सव के एक मास के भीतर - भीतर अनिर्वाय हैं।

(झ) सतर्क समिति (Vigilance Committee) वार्षिकोत्सव से पूर्व ही हर द्वितीय वर्ष चुनावों का प्रबन्ध कर देगी। और वार्षिकोत्सव वाले दिन ही चुनाव

की तिथि, समय और चुनावाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देगी। ताकि प्रत्येक सदस्य को चुनाव की तिथि - समय का पता लग जाये और वह इसमें भाग ले सके।

(न्य) यदि सतर्क समिति समय पर चुनाव कराने में असमर्थ रहे तो सभा के कोई दस सदस्य मिलकर साधारण सभा की बैठक बुला सकते हैं और उस में चुन'व सम्पन्न करा सकते हैं।

(16) किसी भी बैठक के कार्य संचालन के लिए कोर्म $\frac{1}{3}$ होना आवश्यक है।

(17) एक बार कोर्म न होने से दूसरी बार के उपस्थित सभा सदों की कार्यवाही ठीक होगी।

(18) यदि कोई सदस्य बिना कारण निरन्तर तीन बार सभा की बैठक में उपस्थित नहीं होगा वह सदस्य नहीं रहेगा। उस की जगह नया सदस्य चुनने की या और किसी कारण से किसी सदस्य की नियुक्ति करने का कार्यकारिणी को अखतायार होगा।

(19) सभा की सदस्यता वार्षिक शुल्क १०, दस रुपये होगा। जो कि प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक पेशगी देना होगा। सदस्य शुल्क (चंदा) प्रत्येक वर्ष जुलाई तक न देने की अवस्था में सदस्य स्वयं ही पृथक हुआ समझा जाये गा। और चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा।

(20) कार्य कारिणी सभा के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे।

(क) सभा के नियम - उपनियम तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिये व्यवस्था करना।

(ख) सभा की उपसमितियां अपने तथा साधारण सभा

के सभा सदों में से निर्मित करना।

(ग) सभा की चल और अचल सम्पति की रक्षा करना और उस की वृद्धि के लिये योग्य उपाय करना।

(घ) सभा के कर्मचारियों और अन्य कार्य कर्ताओं के लिये नियम बनाना। कर्मचारियों को नियुक्ति करना, पृथक करना, दण्ड देना, वेतन वृद्धि, पदोन्नति अवनति करना आदि।

(ङ) उप समितियों के निर्णयों की सर्वेक्षन करना।

(च) सभा के उद्देश्यानुसार संविधान बनाना।

(छ) ऐसे कार्यों का संयोजन तथा प्रबन्ध करना जिस से सनातन धर्म की प्रगति हो।

(ज) सभा के वार्षिकोत्सव का प्रबन्ध करना।

(झ) साधारण सभा की बैठक का प्रबन्ध करना।

(ञ) साप्ताहिक और दैनिक सत्संगों का प्रबन्ध करना।

(21) कार्य कारिणी सभा की बैठक मास में एक बार आवश्य हुआ करेगी। आवश्यकतानुसार अधिक भी हो सकती है।

(22) बैठक में पूर्वनिरधारित विषयसूची पर ही विचार विमर्श होगा। परन्तु सभा पति की आज्ञा से किसी दूसरे आवश्यक विषय पर भी विचार हो सकता है।

(23) सभा के आय-व्यय का त्रैमासिक ब्योरा कार्य कारिणी सभा में प्रति मास प्रस्तुत होगा।

(24) मन्त्री अथवा दूसरा अधिकारी, जिस को सभा के नियमानुसार ऐसा अधिकार दे स्वयं या प्रधान के अथवा दो सभा सदों के अनुरोध पर कार्य कारिणी की सभा बुला सकता है।

(25) कार्य कारिणी सभा की बैठक की सूचना कम

से कम २४ घन्टे पूर्व दी जाये गी। विशेषा-
वस्था में तुरन्त भी बुलाई जासकती है।

अधिकारियों के कर्त्तव्य तथा अधिकार

(23) प्रधान :—

(1) सभा पति के कर्त्तव्यों का पालन करना।

(2) सभा के समस्त कार्यों की देख-भाल रखना।

(3) सब अधिकारियों को उन के कर्त्तव्य पालन में सहायता देना।

(4) सभा के कोश की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न शील रहना।

(5) सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विशेष उपाय करना।

(6) किसी आवश्यक कार्य पर वह २० रु० तक व्यय कर सकता है, परन्तु आगामी कार्य कारिणी सभा की बैठक में उसका हिसाब देना होगा।

(26) प्रथम उप प्रधान।

(1) प्रथम उप प्रधान, सम्पत्ति निगम के स्थानापन्न प्रधान होंगे।

(2) द्वितिय उप-प्रधान।
द्वितीय उप-प्रधान उत्सव तथा पर्व उपसमिति स्थानापन्न प्रधान होंगे।

(27) मन्त्री :—

(1) सभा सम्बन्धी सब पत्र व्यवहार करना और सभा के कार्यालय का काम सम्भालना।

(2) सभा के प्रत्येक कार्य की निगरानी रखना और उसको पूरा करने का समुचित प्रबन्ध करना।

(3) सभा के साधारण अथवा विशेष उत्सवों का प्रबन्ध करना।

(4) सभा सम्बन्धी सब पत्रादि को अपने नियन्त्रण में रखना।

(5) बजट के अनुसार व्यय करने का अधिकार १० दस रु० तक ही रहेगा। पास भी इतने ही रुपये रख सकता है।

(6) साधारण सभा तथा कार्य कारिणी सभा के प्रस्तावों को चरितार्थ करना, कराना।

(28) सहायक मन्त्री :-

(1) सहायक मन्त्री - प्रताप भवन, धर्मशाला, पुस्तकालय उप समिति का स्थानापन्न प्रधान होंगे।

(2) मन्त्री की अनुपस्थिति में उस के स्थान पर कार्य करना।

(30) उप मन्त्री :—
उप मन्त्री मन्दिर सुधार व सत्सङ्ग समिति के स्थानापन्न प्रधान होंगे।

(31) कोशाध्यक्ष :—
सभा का रुपया बैंक में जमा कराना। बैंक से रुपया निकालने के लिये मन्त्री और प्रधान के हस्ताक्षर होने चाहिये। अर्थात मन्त्री और प्रधान के हस्ताक्षरों से ही रुपया बैंक से निकाला जा सकता है।

(32) आकौन्टेंट :—
सभा के हिस्साब आय - व्यय का व्योरा रखना साथ ही मासिक काम के पत्रों पर हस्ताक्षर करना और मन्त्री के पास वापिस भेज देना।

उप समितियां

(33) सम्पत्ति निगम :-- इस का कार्य सभा की समस्त सम्पत्ति को देख भाल करना, किराये प्राप्त करना, मकान, दुकान आदि सम्पत्ति का खाली कराना, सम्पत्ति का अधिकार लेना, वकील नियुक्त करना, मुकदमों की पैरवी करना और सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो भी कोई समस्या हो उसका समाधान करना और व्यवस्था

करना आदि सम्मिलित है।

(2) उत्सव उप समिति।

(3) धर्म शाला और पुस्तकालय उप समिति।

(4) मन्दिर सुधार व सत्सङ्ग उप समिति।

(5) सतर्क समिति (Vigilance Committee) यह समिति कार्य कारिणी सभा के तीन सदस्यों पर आधारित होगी। इसकी नियुक्ति कार्य कारिणी सभा करेगी। परन्तु इस समिति का सदस्य सभा का प्रधान या मन्त्री नहीं हो सकता। इस सतर्क समिति (Vigilance Committee) के निम्न लिखित कर्त्तव्य होंगे।

(1) सभा के नियम उप नियमों का पालन कार्य कारिणी द्वारा करवाना।

(2) सभा को आर्थिक स्थिति को सुधारना।

(3) सभा के हिसाब किताब की देख भाल करना।

(4) सभा के चुनाव करवाना।

(30) सभा के आधीन एक स्त्री सभा भी होगी, उस के नियम भी आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं।

मन्त्री :-

श्री सनातन धर्म प्रताप सभा

श्रीनगर (काश्मीर)